न्यायालय–नसीम नजर, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–266/2019

गीता देवी...वादिनी

बनाम

झपसी दास एवं अन्य..प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
29.11.2024	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। अभिलेख आज वादिनी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 23.03.2024 अंतर्गत आदेश 22 नियम 04 एवं 09 व्यवहार प्रक्रिया संहिता आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** वादिनी का अपने आवेदन में कहना है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी सं0–05 करीमन राम मृत्यु दिनांक 18 अगस्त 2023 हो गई है तथा प्रस्तुत वाद में मृत प्रतिवादी सं0–05 करीमन राम के विधिक वारिसान के रूप में अपने पीछे पत्नी बेदामी देवी, दो पुत्र देवेन्द्र राम एवं धर्मेन्द्र राम तथा दो पुत्र सुनिता देवी एवं अनिता देवी को छोड़कर मरे है। अतः वादपत्र से प्रतिवादी सं0–05 करीमन राम का नाम कलमजद करने तथा उनके स्थान पर आवेदन में वर्णित उनके विधिक वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करने की कृपा करें, जो प्रस्तुत वाद के आवश्यक पक्षकार है। प्रतिवादीगण की ओर से वादिनी के दाखिल आवेदन का मौखिक विरोध किया गया तथा आवेदन खारिज होने योग्य बताया गया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी सं0–05 करीमन राम की मृत्यु हो गई है। आवेदन के समर्थन में वादिनी की ओर से शपथपत्र दाखिल किया गया है। वादिनी का आवेदन समय सीमा के अंतर्गत दाखिल किया गया है तथा भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 05 का आवेदन दाखिल किया गया है अतः न्यायहित में वादिनी का आवेदन दिनांक 23.03.2024 को मो0–1000/– रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है तथा कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि	

न्यायालय–नसीम नजर, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–266/2019

गीता देवी..वादिनी

बनाम

झपसी दास एवं अन्य..प्रतिवादीगण

लगातार 29.11.2024	वह वादपत्र से मृत प्रतिवादी सं0–05 करीमन राम का नाम कलमजद करें तथा मृतक के विधिक वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करें तद्पश्चात वादिनी की ओर से प्रतिस्थापित प्रतिवादीगणों की उपस्थिति हेतु समन की अपेक्षिकाएँ दाखिल करें। वाद दिनांक 04.01.2025 को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश नरकटियागंज	